FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......सहायक कलक्टर (SDO) बायतु...... मुकाम......

......अचलाराम......बनाम ......देवाराम वगैरा......

किस्म मुकदमा राज० आवेदन 111,128 RLRAct नं. 95/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/03/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/03/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/03/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/ अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। अप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जयपुर मिटिंग में पधारे हुए है अतः मिशल इत्तला होकर आगामी दिनांक 08/04/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
08/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित / अप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पत्थर के नोखम स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नोखमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर नोखमबन्दी आदेश कीया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नोखमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कोनी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नोखमबन्दी मौके पर मुल्क जमा करकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

08.4.2019

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 73 दिनांकः– 8/4/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अचलाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. देवाराम पुत्र लिखमाराम वगैरा निवासी कोलू तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 95/19

आदेश

मौजा कोलू पटवार हल्का कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 434, 1127/434 रकबा क्रं. 32.00, 10.14 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतू तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी नागाणा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 74–78 दिनांकः– 8.4.19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेपित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री देवाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।

08.4.2019
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner